न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 04 सन 2020

अनवान :–

1. सुभाष पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 24/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 259/263 की कुल 9.1040हैक भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण फुलाराम दर्ज हो गया जबकि वादी के पिता का सही नाम मनफुल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में वादी का नाम मनफुल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 259/263 की कुल 9.1040हैक भूमि में वादी के पिता का नाम फुलाराम के स्थान पर मनफुल संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 259/263 की कुल 9. 1040हैक भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण फुलाराम दर्ज हो गया जबकि वादी के पिता का सही नाम मनफुल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में वादी का नाम मनफुल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 259/263 की कुल 9.1040हैक्‍ भूमिम सायल का खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम फुलाराम दर्ज है। वादी का कथन है कि उसके पिता का सही नाम मनफुल है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल सभी में वादी के पिता का नाम मनफुल दर्ज है तथा सायल सरंपच ग्राम पंचायत ललानाबास दिखनादा की तस्दीक पेश की जिसके अनुसार भी सायल के पिता का नाम मनफुल होना प्रतित होता है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 259/263 की कुल 9.1040हैक्‍ भूमि में सायल के पिता का नाम फुलाराम दर्ज के स्थान पर मनफुल उर्फ फुलाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/03/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।
।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 04 / 2021 अनवानी सुभाष बनाम सरकार में` पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. सुभाष पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 04 / 2021 अनवानी सुभाष बनाम सरकार में दिनांक 25|03|21 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 259 / 263 की कुल 9.1040हैक्‍ भूमि में सायल के पिता का नाम फुलाराम दर्ज के स्थान पर मनफुल उर्फ फुलाराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)